न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निवाई जिला टोंक (राज.)

पीठासीन अधिकारी – रामकरण सिंह (आर.ए.एस.)

वाद संख्या:– 505 / 2025

निर्णय दिनांक:– 24.10.2025

उनवान

1. हरिनारायण पुत्र घासी जाति जाट निवासी पहाडी तहसील निवाई जिला टोंक
2. श्रीबक्ष पुत्र घासी जाति जाट निवासी पहाडी तहसील निवाई जिला टोंक

.......प्रार्थीगण

बनाम

1. जीतराम दत्तक पुत्र औंकार जाति जाट निवासी पहाडी तहसील निवाई जिला टोंक
2. जीवनी देवी पत्नी रामराय जाति जाट निवासी पहाडी तहसील निवाई जिला टोंक
3. धर्मराज पुत्र रामराय जाति जाट निवासी पहाडी तहसील निवाई जिला टोंक
4. कैलाशी पुत्री किशोर जाति जाट निवासी पहाडी तहसील निवाई जिला टोंक
5. केसर पत्नी गोरधन जाति जाट निवासी पहाडी तहसील निवाई जिला टोंक
6. किशनी पुत्री गोरधन जाति जाट निवासी पहाडी तहसील निवाई जिला टोंक
7. रामेशी पुत्री गोरधन जाति जाट निवासी पहाडी तहसील निवाई जिला टोंक
8. रामकरण पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी पहाडी तहसील निवाई जिला टोंक
9. रामगोपाल पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी पहाडी तहसील निवाई जिला टोंक
10. लाली पुत्री किशोर जाति जाट निवासी पहाडी तहसील निवाई जिला टोंक
11. श्योजी पुत्र गोरधन जाति जाट निवासी पहाडी तहसील निवाई जिला टोंक
12. तहसीलदार निवाई

.........अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट बाबत प्रदान किये जाने रास्ता

उपस्थित :–

1. श्री नरेन्द्र कुमार जाट, अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. पेरोकार सरकार

निर्णय

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 218 रकबा 0.0759 हेक्टेयर वाके ग्राम पहाडी तहसील निवाई जिला टोंक में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त कृषि आराजियात पर प्रार्थीगण बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज काश्त है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि पर आने जाने एवं कृषि प्रयोजन से हल–बैल–कूली, गाड़ी, ट्रेक्टर ट्रॉली व कृषि के काम में आने वाले अन्य सामान ले जाने के लिये एनएच 12 से पहाडी जाने वाले डामर रोड से अप्रार्थीगण की भूमि ख0नं0 216 की पश्चिम मेर के सहारे सहारे दक्षिण से उत्तर स्थित रास्ते के जरिये अपनी खातेदारी भूमि में आते जाते है जो करीब 20 फीट चौडा है। प्रार्थीगण के आने

उपखण्ड अधिकारी (टोंक)

जाने के लिये मौके पर अन्य कोई वैकल्पिक एवं रिकॉर्डेड सुविधाजनक रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण को काश्त जोत करने का कोई रास्ता वर्तमान में मौजूद नहीं है और न ही वैकल्पिक तौर पर कोई अन्य रास्ते की व्यवस्था है। अप्रार्थी की भूमि खसरा नंबर 216 में से प्रार्थीगण को राज्य सरकार द्वारा प्रतिपादित नियमों के तहत कृषि जोत हेतु रास्ता उपलब्ध करवाया जाना विधिसंगत व न्यायसंगत है। अतः प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 218 रकबा 0.0759 हैक्टेयर खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की कृषि भूमि वाके ग्राम पहाडी तहसील निवाई जिला टोंक में आने जाने हेतु खसरा नंबर 216 में से 20 फीट चौडा रास्ता उपलब्ध करवाये जाने एवं राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश तहसीलदार निवाई को फरमावें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलव किया गया। तहसीलदार निवाई से रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार निवाई ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक कोर्ट/आर.ए./2025/6544 दिनांक 25.09.2025 के द्वारा प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार खसरा नंबर 218 पर पहुंच हेतु खसरा नंबर 216 में से होकर निकटतम रास्ता है, किन्तु मौके पर किसी प्रकार का रास्ता नहीं गुजर रहा है। मौके पर पक्का निर्माण भी नहीं हो रखा है। खसरा नंबर 218 में से रास्ता उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव/कुरेजात रिपोर्ट तैयार कर संलग्न प्रेषित है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार सुनी गई जिनके कथन कमोबेश उनके प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र अनुसार ही रहे।

बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात् में ग्राम केरोद तहसील निवाई के वादग्रस्त खसरा नंबरान की जमाबंदी, नक्शा ट्रेस प्रस्तुत की गई।

उक्त समस्त दस्तावेजी साक्ष्य एवं विवेचन के आधार पर पाया कि प्रार्थीगण ग्राम पहाडी तहसील निवाई के वादग्रस्त आराजियात में रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार हैं तथा तहसीलदार निवाई द्वारा अपनी रिपोर्ट क्रमांक क्रमांक कोर्ट/आर.ए./2025/6544 दिनांक 25.09.2025 में प्रार्थीगण को रास्ता दिए जाने की स्पष्ट अभिशंषा करते हुए रास्ता दिये जाने के कथन किए हैं एवं रास्ता प्रस्तावित किया है। प्रार्थीगण स्वयं की खातेदारी की आराजियात मे आने जाने हेतु रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी पाए जाते हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार निवाई की रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ता अनुसार ग्राम पहाडी तहसील निवाई के खसरा नम्बर 216 में से 35 मीटर लम्बा व 4 मीटर चौड़ा कुल रकबा 140 वर्गमीटर अर्थात् 0.0140 हैक्टेयर प्रार्थीगण की खातेदारी में पहुंचने तक का रास्ता रखे जाने के आदेश दिए जाते हैं। उक्त लम्बाई व चौड़ाई अनुसार प्रभावित रकबे का वर्तमान डीएलसी दर की दुगुनी राशि के अनुसार तहसीलदार निवाई द्वारा गणना की जावे तथा प्रार्थीगण संबंधित खातेदारान के रास्ते की भूमि बाबत् खातेदारान को राशि अदा करेंगे। उक्त रास्ते हेतु प्रभावित भूमि में से रास्ते की भूमि का नाप चौप कर पृथक से राजस्व अभिलेखों में सिवायचक आम रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा प्रभावित भूमि में से रास्ते के रकबे को कम करते हुए शेष रकबा संबंधित खातेदार/खातेदारान के हिस्से में यथावत रखा जावे। यथानुसार राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम किया जावे। **यह आदेश प्रार्थीगण द्वारा भूमि के प्रभावित क्षेत्रफल के वर्तमान डीएलसी दर की दुगुनी राशि अनुसार भुगतान अदा किये जाने के पश्चात् लागू होंगे।** प्रार्थीगण द्वारा राशि राजकोष में जमा करने की रसीद पेश करने पर उक्तानुसार मौके पर रास्ते की भूमि का नाप–चौप कर राजस्व नक्शे में सिवायचक आम रास्ता तरमीम किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामकरण सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी निवाई

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)